

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 103/23

तारीख 18/5/23

शान्ति बाई पत्नि बंशीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीया

बनाम

01. दिनेश कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नरेन्द्र कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. कमलेश कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शक्तिकुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. मनभर देवी पत्नि रामरतन जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सतकुडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. धापू देवी पत्नि श्री किशन जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सतकुडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 7/6/23

प्रार्थना पत्र शान्ति बाई पत्नि बंशीलाल जाति ब्राहमण निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 96 पर अंकित आराजी संख्या 344/20 रकबा 1.3921 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काशतकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थीया अदा करे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 96 पर अंकित आराजी संख्या 344/20 रकबा 1.3921 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने देत आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 103/23

तारीख 7/6/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 103/23 / 2023 पत्थरगढी बाबत।

शान्ति बाई पत्नि बंशीलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थीया

बनाम

01. दिनेश कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. नरेन्द्र कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. कमलेश कुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शक्तिकुमार पुत्र घीसूलाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. मनभर देवी पत्नि रामरतन जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सतकुडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. धापू देवी पत्नि श्री किशन जाति गुर्जर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सतकुडिया तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है ग्राम रेसुन्दा पटवार हल्का रेसुन्दा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 96 पर अंकित आराजी संख्या 344/20 रकबा 1.3921 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर कांस्या को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थीया अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा